

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-4/अ0प्र0-1-31/2019

77

/पटना दिनांक-19.3.20

श्रीमती कौशल्या जायसवाल ने अपने पति स्व0 गंगा प्रसाद जायसवाल, कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ को हुए गम्भीर बीमारी के कारण कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने के फलस्वरूप उनका अवरुद्ध वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ को अभ्यावेदन समर्पित किया। तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक-1589 अनु0 दिनांक-04.10.2019 के द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0-3127 दिनांक-06.03.2018 में सन्निहित प्रावधान के तहत श्रीमती कौशल्या जायसवाल, पति स्व0 गंगा प्रसाद जायसवाल, कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक-01.10.2019 की तिथि से उनके पति को कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करते हुए अवरुद्ध वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(५) 19/03/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)  
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-31/2019

1807

/पटना दिनांक-19.3.2020

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(५) 19/03/2020

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-31/2019

1807

/पटना दिनांक-19.3.2020

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-02, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णिया/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(५) 19/03/2020

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-31/2019

1807

/पटना दिनांक-19.3.2020

प्रतिलिपि:- श्रीमती कौशल्या जायसवाल, पति स्व0 गंगा प्रसाद जायसवाल, कनीय अभियंता, नेवालाल चौक, लाइन वस्ती, पूर्णियाँ, पिन-854301 एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(५) 19/03/2020

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-31/2019

1807

/पटना दिनांक-19.3.2020

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(4) 19/03/2020

अभियंता प्रमुख।

Office Order

5